



Tele: (0755) 2767786

Fax : (0755) 2551568

Email: registrar.mpmc@mp.gov.in

F-7, Sanchi Complex,
Opp. Board Office,
Bhopal (MP) 462 016

Web: www.mpmcouncil.net

क्रमांक एमपीएमसी/शिका.-18/2021/ 1651

भोपाल, दिनांक 6/6/2021

प्रति,

Dr. Hareesh Pathak,
Department of Respiratory Medicine,
Gandhi Medical College, Bhopal

द्वारा - अधिष्ठाता, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय
विषय :- कारण बताओ सूचना पत्र- पंजीयन निरस्त करने बावत्।

उपरोक्त विषय में अधिष्ठाता एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल ने सूचित किया है, कि आप के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से अवैधानिक रूप से हड़ताल की जा रही है जिससे मरीजों के इलाज एवं चिकित्सा महाविद्यालय के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। आप अपने कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं और आपके द्वारा इन्टरन एवं अन्य डाक्टर्स को भी जबरदस्ती कार्यस्थल पर उपस्थित होने से रोका जा रहा है।

आपका उक्त आचरण इंडियन मेडिकल कौंसिल (प्रोफेशनल कंडक्ट, एटिकेट एण्ड ईथिक्स) रेग्यूलेशन, 2002 की कंडिका 1.1.2, 1.7 एवं 1.9 में उल्लेखित व्यावसायिक आचरणों तथा मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 जो कि वर्तमान में प्रभावशील है, का स्पष्ट उल्लंघन है और आप चिकित्सक होते हुए भी चिकित्सा व्यवसाय से संबंधित विधिक प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे हैं जबकि आपके द्वारा रेग्यूलेशन अनुसार केन्द्र /राज्य अथवा स्थानीय प्रशासन द्वारा जन स्वास्थ्य के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु बनाये गये कानून, एस्मा व अन्य नियमों का पालन करना अनिवार्य है। उपरोक्त नियमों का पालन नहीं करने के आपके आचरण से आपने स्वयं को मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल से अपना पंजीयन निरस्त करने हेतु उत्तरदायी बना लिया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि कौंसिल की ईथिकल कमेटी के समक्ष दिनांक 10.06.2021 को समय प्रातः 10.20 बजे कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा 6वीं मंजिल, सतपुडा भवन, भोपाल में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल से आपका पंजीयन निरस्त कर दिया जावे?

अनुपस्थित होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही करने हेतु कौंसिल स्वतंत्र होगी।

अध्यक्ष म. प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा अनुमोदित

रजिस्ट्रार

मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल
भोपाल, दिनांक 6/6/2021

क्रमांक एमपीएमसी/शिका.-18/2021/ 1652

प्रतिलिपि:-

अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल की भेजकर सूचित किया जाता है कि :-

- इस पत्र को कॉलेज एवं संबंधित होस्टल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाकर तथा व्यक्तिगत संबंधित को तामील करवाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करने का कष्ट करें,
- आप या आपके प्रतिनिधि उक्त सुनवाई में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

रजिस्ट्रार

मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल

6/6/2021

Tele: (0755) 2767786

Fax : (0755) 2551568

Email: registrar.mpmc@mp.gov.in



F-7, Sanchi Complex,
Opp. Board Office,
Bhopal (MP) 462 016

Web: www.mpmcouncil.net

क्रमांक एमपीएमसी/शिका.-18/2021/ 1653

भोपाल, दिनांक 6/6/21

प्रति,

Dr. Arvind Meena,
Department of Anaesthesia,,
Gandhi Medical College, Bhopal

द्वारा - अधिष्ठाता, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय
विषय :- कारण बताओ सूचना पत्र- पंजीयन निरस्त करने बावत्।

उपरोक्त विषय में अधिष्ठाता एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल ने सूचित किया है, कि आप के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से अवैधानिक रूप से हडताल की जा रही है जिससे मरीजों के इलाज एवं चिकित्सा महाविद्यालय के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। आप अपने कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं और आपके द्वारा इन्टर्न एवं अन्य डाक्टरों को भी जबरदस्ती कार्यस्थल पर उपस्थित होने से रोका जा रहा है।

आपका उक्त आचरण इंडियन मेडिकल कौंसिल (प्रोफेशनल कंडक्ट, एटिकेट एण्ड ईथिक्स) रेग्यूलेशन, 2002 की कंडिका 1.1.2, 1.7 एवं 1.9 में उल्लेखित व्यावसायिक आचरणों तथा मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 जो कि वर्तमान में प्रभावी है, का स्पष्ट उल्लंघन है और आप चिकित्सक होते हुए भी चिकित्सा व्यवसाय से संबंधित विधिक प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे हैं जबकि आपके द्वारा रेग्यूलेशन अनुसार केन्द्र /राज्य अथवा स्थानीय प्रशासन द्वारा जन स्वास्थ्य के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु बनाये गये कानून, एस्मा व अन्य नियमों का पालन करना अनिवार्य है। उपरोक्त नियमों का पालन नहीं करने के आपके आचरण से आपने स्वयं को मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल से अपना पंजीयन निरस्त करने हेतु उत्तरदायी बना लिया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि कौंसिल की ईथिकल कमेटी के समक्ष दिनांक 10.06.2021 को समय प्रातः 10:30 बजे कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा 6वीं मंजिल, सतपुडा भवन, भोपाल में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल से आपका पंजीयन निरस्त कर दिया जावे? अनुपस्थित होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही करने हेतु कौंसिल स्वतंत्र होगी।

अध्यक्ष म. प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा अनुमोदित

क्रमांक एमपीएमसी/शिका.-18/2021/ 1654

रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल
भोपाल, दिनांक 6/6/2021

प्रतिलिपि:-

अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल की भेजकर सूचित किया जाता है कि :-

- इस पत्र को कॉलेज एवं संबंधित होस्टल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाकर तथा व्यक्तिशः संबंधित को तामील करवाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करने का कष्ट करें,
- आप या आपके प्रतिनिधि उक्त सुनवाई में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल

6/6/2021

Tele: (0755) 2767786
Fax : (0755) 2551568
Email: registrar.mpmc@mp.gov.in



F-7, Sanchi Complex,
Opp. Board Office,
Bhopal (MP) 462 016
Web: www.mpmcouncil.net

क्रमांक एमपीएमसी/शिका.-18/2021/ 1655

भोपाल, दिनांक 6/6/21

प्रति,

Dr. Shubham Chourasiya,
Department of Orthopaedics,
Gandhi Medical College, Bhopal

द्वारा - अधिष्ठाता, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय
विषय :- कारण बताओ सूचना पत्र- पंजीयन निरस्त करने बावत।

उपरोक्त विषय में अधिष्ठाता एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल ने सूचित किया है, कि आप के द्वारा दिनांक 31.05.2021 से अवैधानिक रूप से हड़ताल की जा रही है जिससे मरीजों के इलाज एवं चिकित्सा महाविद्यालय के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। आप अपने कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं और आपके द्वारा इन्टरन एवं अन्य डाक्टरों को भी जबरदस्ती कार्यस्थल पर उपस्थित होने से रोका जा रहा है।

आपका उक्त आचरण इंडियन मेडिकल कौंसिल (प्रोफेशनल कंडक्ट, एटिकेट एण्ड ईथिक्स) रेग्यूलेशन, 2002 की कंडिका 1.1.2, 1.7 एवं 1.9 में उल्लेखित व्यावसायिक आचरणों तथा मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 जो कि वर्तमान में प्रभावशील है, का स्पष्ट उल्लंघन है और आप चिकित्सक होते हुए भी चिकित्सा व्यवसाय से संबंधित विधिक प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे हैं जबकि आपके द्वारा रेग्यूलेशन अनुसार केन्द्र /राज्य अथवा स्थानीय प्रशासन द्वारा जन स्वास्थ्य के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु बनाये गये कानून, एस्मा व अन्य नियमों का पालन करना अनिवार्य है। उपरोक्त नियमों का पालन नहीं करने के आपके आचरण से आपने स्वयं को मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल से अपना पंजीयन निरस्त करने हेतु उत्तरदायी बना लिया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि कौंसिल की ईथिकल कमेटी के समक्ष दिनांक 10.06.2021 को समय प्रातः 10:40 बजे कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा 6वीं मंजिल, सतपुडा भवन, भोपाल में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल से आपका पंजीयन निरस्त कर दिया जावे?

अनुपस्थित होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही करने हेतु कौंसिल स्वतंत्र होगी।

अध्यक्ष म. प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा अनुमोदित

क्रमांक एमपीएमसी/शिका.-18/2021/ 1656

रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल
भोपाल, दिनांक 6/6/21

प्रतिलिपि:-

अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल की भेजकर सूचित किया जाता है कि :-

- इस पत्र को कॉलेज एवं संबंधित होस्टल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाकर तथा व्यक्तिशः संबंधित को तामील करवाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करने का कष्ट करें,
- आप या आपके प्रतिनिधि उक्त सुनवाई में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल
6/6/2021